बीमा लोकपाल परिषद, मुंबई

विभिन्न केन्द्रों पर बीमा लोकपाल पद के लिए रिक्तियाँ

Advt. No.1 /2021, दिनांक 8th April, 2021

बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, कोच्चि और मुंबई के हर एक केंद्र में एक बीमा लोकपाल पद की नियुक्ति के लिए, जो व्यक्ति आवेदन प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथी पर निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:

आयु : पचपन (55) वर्ष से कम ना हो तथा पैंसठ (65) वर्ष से अधिक ना हो

अनुभव : क) आवेदक अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा के सदस्य के रूप में कार्यरत है / था तथा उसने भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद धारण किया होना चाहिए

या

ख) आवेदक ने बीमा उद्योग में कम से कम पच्चीस वर्ष की सेवा की हो और उसने कम से कम बोर्ड में निदेशक के पद से अन्यून पद धारण किया हो

पारिश्रमिक : प्रतिमाह 2,25,000 रूपये नियत वेतन जिसमें से केन्द्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त पेंशन राशि को घटाया जाएगा

अवधि : तीन साल, या अड़सठ साल की उम्र की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो

बीमा लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और चयन मानदंड, नियम और शर्तें तथा कर्तव्य और कार्य समय-समय पर संशोधित बीमा लोकपाल नियम, 2017 के अनुसार होंगे।

(http://www.cioins.co.in/OmbudsmanRules2017.html)

<u>आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि : **07/05/2021**</u>

चयनित बीमा लोकपाल की नियुक्ती उल्लिखित किसी भी एक केन्द्र पर हो सकती है।

नियुक्ति की अन्य शर्तें इस प्रकार होंगी:

I) वेतन और भत्ते(Pay and allowances):

1) रु .2,25,000 / - प्रति माह के एक नियत मूल वेतन (केंद्र सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त किसी भी पेंशन को घटाकर) के अतिरिक्त, केंद्र सरकार में समकक्ष वेतनमान

वाले समूह 'ए' के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

2) मकान और कार की सुविधा के बदले रु. 75000 / - का एक निर्धारित भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।

II) **अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession LTC):**
कार्यकाल के दौरान एक बार अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार होंगे। LTC की स्वीकार्यता (admissibility), भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक के समकक्ष होगी।

III) **चिकित्सा उपचार के लिए सुविधाएं (Facilities for Medical Treatment):**
सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा (CGHS) योजना के अनुसार चिकित्सा उपचार और अस्पताल सहुलियत जैसी सुविधाएं या सार्वजनिक उपक्रम की बीमा कंपनियों के सेवानिवृत्त पूर्णकालिक निदेशकों को पिछले रोजगार के अंतर्गत जो मेडिक्लेम सुविधाएं, यदि वह पिछले रोजगार के आधार पर उपलब्ध नहीं हैं तो, इस स्थिति में, लोकपाल के रूप में कार्यकाल की अवधि के दौरान रु.20000 / प्रति वर्ष प्रीमियम की प्रतिपूर्ति पर मेडिक्लेम बीमा के लिए लोकपाल हकदार होंगे।

IV) **अवकाश:** लोकपाल सालाना 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश, 30 दिनों का अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर 20 दिनों की या पूरे वेतन पर 10 दिनों के सिक लीव के लिए हकदार होंगे। वर्ष के अंत में जमा आकस्मिक अवकाश का शेष समाप्त (lapse) हो जाएगा। वर्ष में एक बार जमा की गई अर्जित अवकाश का 50%, 3 साल के पूरे कार्यकाल के दौरान अधिकतम 45 दिनों के अर्जित अवकाश का नकदीकरण करने का हकदार होगा। कार्यकाल के अंत में शेष अर्जित अवकाश और शेष सिक लीव समाप्त (lapse) हो जाएगा।

V) **यात्रा भत्ता:** दौरे के समय, लोकपाल को प्रतिदिन रु.1800/- का दैनिक भत्ता दिया जाएगा। संगणना की पद्धति, भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक के लिए जो प्रचलन में हैं वह लागू होगी।

दौरे / यात्रा के लिए यात्रा का माध्यम (mode), ठहरने (lodging) के शुल्क, आकस्मिक व्यय (incidentals) आदि से संबंधित नियम, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक के लिए प्रचलन में हैं वह लागू होंगे।

इस नियुक्ति को लेने के लिए, लोकपाल किसी भी प्रकार के भत्ते या खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, इस्तीफा, बर्खास्तगी या निष्कासन के कारण कार्यकाल समाप्ति को छोडकर, कार्य अवधि (term) पूरा होने पर स्वयं और

परिवार की यात्रा के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति और निजी सामग्री के परिवहन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक की पात्रता के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

लोकपाल के लिए देय भत्ते और अनुलाभ (perquisites) केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ बीमा लोकपाल परिषद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

आवेदक को आवेदन पत्र विधिवत भरकर, हस्ताक्षरित और स्कैन कर, ईमेल विषय "बीमा लोकपाल के लिए आवेदन" नामित विषय शीर्षक के साथ, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (07.05.2021) पर या उससे पहले ombudsman.recruitment@cioins.co.in इस ईमेल आई डी पर भेजना चाहिए।

इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो, query-recruitment@cioins.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

महासचिव (बीमा लोकपाल परिषद)